

पूर्व मध्य रेल
(निर्माण संगठन)

कार्यालय आदेश सं०-अराज/५०/2020

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित स्थानांतरण एवं पदस्थापन आदेश जारी किए जाते हैं:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम एवं लेवल	संबंधित कार्यालय आदेश	प्रतिक्षारत अवधि	पदस्थापना स्थल	टिप्पणियाँ
01	Sri Deepak Kumar	PA Level-7	GM (P)/FCR/HJP's O.O. No-115/2020. Dt.-18.02.2020	दिनांक-06.01.2020 से 07.01.2020 तक मुख्यालय/हाजीपुर में एवं दिनांक-08.01.2020 से 04.02.2020 तक दानापुर मंडल में, दिनांक-05.02.2020 से 18.02.2020 तक पुनः मुख्यालय/हाजीपुर में एवं दिनांक-19.02.2020 से यह कार्यालय आदेश जारी होने तक इस कार्यालय में पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत रहे हैं।	S&T/MHX	स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर अतः स्थानान्तरण संबंधी सारी सुविधाएं देय होगी।
02	Sri Pintu Paswan	CA Level-6	GM (P)/ECR/HJP's O.O. No-75/2020. Dt.-11.02.2020	दिनांक-18.02.2020 से 10.03.2020 तक इस कार्यालय में पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत हैं एवं दिनांक-11.03.2020 से 13.03.2020 तक के लिए CL हेतु आवेदन किया है।	CE/Con/NC/MHX	
03	Sri Rakesh Kumar Maurya	Steno Level-4		...	DRM (P)/NCR/Allahabad	पारस्परिक स्थानांतरण के तहत

नोट- मुख्यालय/हाजीपुर के कार्यालय आदेश सं-75/2020, दिनांक-11.02.2020 के अनुसार श्री राकेश कुमार मौर्य/स्टेनो/महेन्द्रघाट का स्थानांतरण श्री अमित रजन/स्टेनो/इलाहाबाद/उमरे के साथ पारस्परिक स्थानांतरण के तहत किया गया है। तदनुसार श्री राकेश कुमार मौर्य को रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र सं.-ई (एनजी) 1-2001/16/टीआर, दिनांक-21.01.2001 एवं ई (एनजी) 1-2007/टीआर 226, दिनांक-04.12.2007 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में विरमित किए जाएंगे एवं उन पर अन्य शर्तें निम्नवत प्रभावी होंगी:-

1. विरमित करते समय उक्त कर्मचारी डीएआर/एसपीई एवं विजिलेंस प्रकरण से मुक्त होना चाहिए।
2. नियमानुसार उक्त कर्मचारी को उचित पहचान पत्र एवं बायें हाथ के अंगूठे का निशान (सत्यापित) के साथ विरमित किया जाएगा।
3. नियमानुसार कर्मचारी को कोई भी भत्ता जैसे सीटीजी, पास एवं स्थानांतरण अवकाश देय नहीं है।
4. नियमानुसार कर्मचारी पुराने यूनिट में दुबारा स्थानांतरण नहीं लेंगे।
5. उक्त कर्मचारी की वरीयता पारस्परिक स्थानांतरण के नियमानुसार किया जाएगा।
6. कर्मचारी को विरमित करते समय रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र सं.-ईआरपी/पोर्टल-ट्रांसफर/2013, दिनांक-30.04.2014 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

(अरविन्द कुमार शर्मा)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (निर्माण)

कृते मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

दिनांक 12.03.2020

सं०- ईसीआर/सीएओ/कॉन/ई/कार्मिक/स्टेनो/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महाप्रबन्धक/कार्मिक/पूमरे/हाजीपुर।
- सचिव, CAO/Con/South को CAO/Con/South महोदय के सादर सूचनाार्थ।
- सचिव, CAO/Con/North को CAO/Con/North महोदय के सादर सूचनाार्थ।
- मुसिदूड़/नि/दक्षिण/महेन्द्रघाट/पटना।
- मरेप्र/का/उमरे/इलाहाबाद को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- उम मुई/नि/उ.म./महेन्द्रघाट - कृपया श्री राकेश कुमार मौर्य को उचित पहचान के साथ एवं उपरोक्त निर्देशों के आलोक में मरेप्र/का/उमरे/इलाहाबाद, कार्यालय के लिए विरमित करने की व्यवस्था की जाए।
- FA&CAO/Con/MHX, Patna.
- कार्याधी/MPP/नि0/महेन्द्रघाट, पटना।
- Branch Secy ECRKU/HQ/Con/MHX/Patna
- अभिलेख प्रति
- संबंधित कर्मचारी।

कृते मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण